न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 63/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सतीश कुमार पुत्र स्व0 झम्मन जाति अहीर निवासी ग्राम मौहलडिया तहसील नीमराना जिला अलवर ।

:--- अपीलांट प्रार्थी

बनाम

1 वेदप्रकाश पुत्र भीवाराम जाति अहीर वगैरा निवासीयान ग्राम मौहलडिया तहसील नीमराणा जिला अलवर राजस्थान

:-- असल रेस्पो0 अप्रार्थीगण

शर्मिला देवी पत्नि स्व0 झम्मन जाति अहीर वगैरा

:---- तरतीबी रेस्पो0 प्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, नीमराणा

दिनांक 20.7.2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता

2. वकील असल रेस्पो0 :- श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय

दिनांक 13.10.2017

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराणा द्वारा मिसल नम्बर 118/2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा विवादित आराजी पर तहसीलदार को मौका कमि श्नर नियुक्त किया गया था ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 503 रकबा 8 एयर वाके ग्राम मौहलडिया तहसील नीमराना की बाबत हमने तहत न्यायालय में धारास 188 के तहत दावा पेश किया है और उसके साथ धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 503 रकबा 8 एयर में हम प्रार्थीगण का 1/2 भाग तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का 1/2 भाग है । अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 4 एयर हमारी आराजी खसरा नम्बर 503 से लगती हुई है । इसका फायदा उठाकर वे जबरन हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं और उसमें निर्माण करने पर उतारू है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हमारे पक्ष में पारित न कर अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 स्वीकार कर तहसीलदार को गलत तौर पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

3 विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि हम इनकी आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं । हम अपनी आराजी पर काबिज है । विवादित आराजी की वस्तुस्थिति की जानकारी मंगाने हेतु हमने आदेश 22 नियम 9 का प्रा0 पत्र पेश किया, जो सही तौर पर स्वीकार किया गया है । इसके

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि धारा 212 का प्रार्थना पत्र अभी लम्बित है । अपीलाधीन आदेश अभी कोई अंतिम आदेश नहीं है । आदेश 22 नियम 9 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर दिया गया आदेश है, जिसकी अपील चलने योग्य नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत 2015 (1) डी0 एन0 जे0 राजस्थान पेज 81 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई भी आदेश अपील योग्य है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलाधीन आदेश द्वारा विद्वान तहत न्यायालय ने विवादित आराजी की सही वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है, जिससे अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये । तहत न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है । अभी धारा 212 का प्रार्थना पत्र लम्बित है और मौका कमिश्नर की रिपोर्ट आने के पश्चात ही उसमें किसी प्रकार का निर्णय होना है । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते हैं । परन्तु चूंकि दौराने विचारण धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र एवं वाद अगर विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण अप्रार्थीगगण असल रेस्पो0 ने कर लिया तो इससे विवादित आराजी की शक्ल- ओ- सूरत बदल जायेगी और पक्षकारान के मध्य एक ओर अनावश्यक विवाद पैदा होगा । इसलिये हम निर्माण कार्य नहीं करने बाबत आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा असल रेस्पो0 को पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner